भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 593
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

खनन में निर्धारित मानक से अधिक विस्फोट

593. श्री दामोदर अग्रवालः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा किए जा रहे खनन कार्य में निर्धारित मानदंडों से अधिक भारी विस्फोट से आम लोगों को जान-माल का गंभीर नुकसान हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय-सीमा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो स्थानीय निवासियों के जान-माल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने खान श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खान अधिनियम, 1952 लागू किया है। उक्त अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) द्वारा प्रशासित है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) को खान श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है।

धात्विक खान विनियम, 1961 (खान अधिनियम, 1952 के तहत निर्मित) में खानों में विस्फोटकों के सुरक्षित भंडारण, संचालन, परिवहन, उपयोग और विस्फोटन के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। डीजीएमएस "खानों में विस्फोटकों के सुरक्षित संचालन और विस्फोटन पद्धतियों" पर आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला भी आयोजित करता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिंदल सॉ लिमिटेड की लाम्पिया लौह अयस्क, तांबा और संबंधित खनिज की खानों में विस्फोट से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी और डीजीएमएस द्वारा इसकी जाँच की गई। जाँच के बाद पाया गया कि उक्त खानों में विस्फोट के कारण किसी की जान नहीं गई थी।

*****